न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

UPPG160035872026

Bail Application/440 /2026
अरविन्द सिंह बनाम राज्य उ.प्र.

दिनांक–18.06.2026

अभियुक्त अरविन्द सिंह की ओर से मु०सं०–192/2026 अन्तर्गत धारा–281, 106 बी.एन.एस., थाना–कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त सशरीर न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है प्रार्थी/ अभियुक्त को अवैधानिक ढंग से फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल है। सभी धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अपराध जमानतीय है। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी०बी०आई० 2021(10) एसी०सी०सी०** 773 के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था Smt. Bacchi Devi vs State of U.P. and Another, Neutral Citation No.– 2025: AHC: 136034 के पैरा 38 (I) के अनुपालन में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुवलिग 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व अंडरटेकिंग दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

1. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, अनावश्यक स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. मामले के वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण को उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेगा।

(आकृति गौतम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल(II)

Digitally signed by AKRITI GAUTAM
Date: 2026.07.03 13:22:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court